



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062022-236396
CG-DL-E-08062022-236396

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 400]
No. 400]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2022/ज्येष्ठ 17, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2022/JYAISTHA 17, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2022

सा.का.नि. 421(अ).—अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित अन्तर्देशीय जलयान (पंजीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) नियम, 2022 के प्रारूप भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 144(अ), तारीख 22 फरवरी, 2022 द्वारा भारत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका इससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जिससे उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिनों की अवधि के अवसान से पूर्व आपेक्ष और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 22 फरवरी, 2022 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त किए गए आपेक्षों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (ड) से (भ) के साथ पठित धारा 21, धारा 22 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 23 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 24 की उपधारा (2), धारा 27 की उपधारा (2), धारा 29 की उपधारा (2), धारा 32 की उपधारा (1), धारा 33 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अन्तर्देशीय जलयान (पंजीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विस्तार और उपयोजन.— (1) कोई अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान जिसे जिसका अधिनियम की धारा 17 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना अपेक्षित है, किसी भी यात्रा पर नहीं जाएगा या किसी भी सेवा के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके पास उस संबंध में प्रवृत्त रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र न हो और जिसे अधिनियम की धारा 24 के अधीन प्रदान किया गया हो।

(2) वाणिज्यिक पोत, परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन यंत्रचालित जलयान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रत्येक प्रमाणपत्र अधिनियम के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के रूप में मान्य और प्रभावी होगा और अधिनियम के सुसंगत उपबंध ऐसे जलयान के संबंध में लागू होंगे क्योंकि वे इन विनियमों और अधिनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान पर लागू होते हैं।

3. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) अभिप्रेत है ;

(ख) “जांच” से रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा जलयान, उसकी मशीनरी, बोर्ड पर रखी वस्तुओं की निरीक्षण प्रक्रिया और जलयान के रिकॉर्ड का सत्यापन अभिप्रेत है ;

(ग) “प्रमुख संपरिवर्तन और उपांतरण” से निम्नलिखित में से कोई अभिप्रेत है -

- (i) जलयान के सकल भार में 10 प्रतिशत से अधिक का बदलाव
- (ii) जलयान प्रकार में बदलाव या
- (iii) प्रणोदन प्रणाली या मुख्य इंजिन या ईंधन प्रकार में बदलाव

(घ) “जलयान के मुख्य आरेखण” से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

- (i) साधारण व्यवस्था;
- (ii) मुख्य अवसंरचना योजना; जलयान का मध्य खंड, प्रोफाइल और डेक, शेल विस्तार
- (iii) प्रणोदन प्रणाली सहित मशीनरी लेआउट और ब्यौरा

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

4. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन.— अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन इन नियमों से संलग्न प्ररूप सं. 2 में ऐसी विशिष्टियों के साथ, यान के स्वामी या मास्टर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जो इन नियमों के नियम 7 के अधीन अपेक्षित है।

5. रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया.— (1) राज्य में रजिस्ट्री के स्थान पर रजिस्ट्रीकरण के इच्छुक अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी या मास्टर या मालिक या निर्माता रजिस्ट्रीकरण के लिए एक आवेदन करेंगे और संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे :

(क) एक उद्घोषणा यह कि इस अधिनियम के उपबंधों और नियमों का अनुपालन किया गया है;

(ख) इन नियमों से संलग्न प्ररूप 3 में स्वामी की उद्घोषणा;

(ग) नए जलयान के लिए :-

- (i) जलयान के निर्माता (निर्माता प्रमाणपत्र) जिसमें उचित आयामों या विवरणों और जलयान के टनभार का एक सही ब्यौरा हो जैसा कि उसके द्वारा अनुमान लगाया गया था और उस समय और स्थान जहां जलयान का निर्माण किया गया था।
- (ii) जलयान के अनुमोदित मुख्य आरेखण के साथ सर्वेक्षण कर्ता द्वारा जारी जांच प्रमाणपत्र।
- (iii) यदि कोई नया जलयान निर्माणाधीन है तो निर्माता का प्रमाणपत्र जलयान के पूरा होने के पश्चात् संबंधित संगठन द्वारा जारी किए जाने से पूर्व जमा किया जा सकता है।

(घ) प्रमुख संपरिवर्तन या उपांतरण के अध्याधीन जलयान के मामले में जलयान के मुख्य आरेखण अनुमोदन के साथ निर्माण का प्रमाणपत्र और निरीक्षण प्रमाणपत्र सर्वेक्षक द्वारा जारी किया जाएगा।

(ङ) विक्रय लिखत जिसके अधीन जलयान का हक आवेदक को अंतरित किया गया था, उसे अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराना अपेक्षित है, (पुराने जलयान के लिए) ;

(च) सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र, यदि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो या सर्वेक्षक द्वारा जारी किया गया सर्वेक्षण का अनंतिम प्रमाणपत्र ;

(छ) राज्य सरकार द्वारा यथा विहित फीस के भुगतान के साक्ष्य की चालान रसीद ; और

(ज) बंधक के ब्यौरे, यदि कोई हो।

(2) अन्तर्देशीय जलयानों [बीमा, देयता की सीमा, जांच और जांच, सेवा प्रदाताओं और सेवा उपयोगकर्ताओं और संबद्ध मामलों के दायित्व] नियम 2022 के अनुपालन में जारी किए गए बीमा प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि तत्काल प्रस्तुत की जाएगी, जब जलयान को चलाने या व्यापार से पहले नियमों के अनुसार बीमा किया जाता है।

स्पष्टीकरण : उपनियम (2) के प्रयोजन के लिए जलयान के रजिस्ट्रीकरण होने के पश्चात् उसका बीमा किया जाएगा और बीमा कंपनी को जलयान के पहचान के ब्यौरे और जलयान के रजिस्ट्रीकरण का सबूत, सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र और ऐसे अन्य दस्तावेज जो बीमा कंपनी द्वारा अपेक्षित हों, दिए जाएंगे।

(3) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र तत्काल प्रस्तुत किया जाएगा, जैसे ही नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाए।

(4) नियम (4) के अधीन जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी रिकॉर्ड और केन्द्रीय डाटा आधार से सुनिश्चित करने के पश्चात् कि उस नाम पर कोई अन्य जलयान रजिस्ट्रीकृत नहीं है, तो वह नाम अनुमोदित करेगा जिसके लिए अनुरोध किया गया है और जब एक बार नाम अनुमोदित किया जाए तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी जलयान के लिए एक आधिकारिक संख्या भी आबंटित करेगा जो इन नियमों और केन्द्रीय डाटा आधार से संलग्न प्ररूप संख्या 1 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण पुस्तिका में रिकॉर्ड होगी।

परन्तु रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी आवेदक से अंतिम दस्तावेज की प्राप्ति के तारीख से तीस दिनों के भीतर आवेदक को नाम के अनुमोदन की संसूचना देगा।

(5) इन नियमों के अनुपालन में आवेदक द्वारा अपेक्षित ब्यौरे और दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के अध्याधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी इन नियमों से संलग्न प्ररूप सं. 4 में आवेदक को नोटिस देगा और जलयान के संबंध में जांच के लिए समय और तारीख की सूचना देगा।

(6) इन नियमों के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त या प्राधिकृत ऐसा अन्य व्यक्ति,-

(क) ऐसी जांच के उद्देश्य के लिए जलयान अथवा इसके किसी भाग अथवा इसमें लगी किसी मशीनरी अथवा संगत किसी वस्तु की जांच कर सकता है ;

(ख) जलयान के स्वामी अथवा मालिक से कोई रिकार्ड मांग सकता है और जहां तक ऐसी जांच के उद्देश्य के लिए ऐसे रिकार्डों का संबंध है, उनकी जांच कर सकता है ; और

(ग) ऐसी जांच के उद्देश्य के लिए यथा उपयुक्त सहायता प्राप्त कर सकता है।

(7) इन नियमों के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए जलयान के स्वामी, मास्टर और चालक दल का प्रत्येक सदस्य जांच करने के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसी जानकारी भी प्रस्तुत करेगा जो उपनियम (6) के अधीन सशक्त प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो।

(8) यह सुनिश्चित करने पर कि आवेदक द्वारा इस नियम के अधीन समेकित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी इन नियमों से संलग्न प्ररूप सं. 5 में एक नक्काशी जारी करेगा और नोट बनाएगा।

(9) नक्काशी और नोट जलयान पर नक्काशी और नोट कार्यान्वित करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को वापस करेगा, जो सर्वेक्षक द्वारा सत्यापित किए जाएंगे।

(10) यह सुनिश्चित करने पर कि आवेदक ने रजिस्ट्रीकरण के अपेक्षाओं को पूरा करने में इन नियमों का अनुपालन किया है, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी इन नियमों से संलग्न प्ररूप सं. 1 में अन्तर्देशीय जलयान की विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा।

6. रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को प्रदान करना.— (1) यदि किसी अन्तर्देशीय जलयान के संबंध में, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को नियम 5 के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी जांच करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का अनुपालन किया गया है, तो वह आवेदक को इन नियमों से संलग्न प्ररूप सं. 8 में एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उस आवेदक को प्रदान करेगा, जिसमें सर्वेक्षण प्रमाणपत्र, सर्वेक्षण का अनंतिम प्रमाणपत्र, निर्माता प्रमाणपत्र, विक्रय का प्रमाणपत्र जिसके द्वारा जलयान बेचा गया था और स्वामीत्व की उद्घोषणा होगी।

(2) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप में भी होगा।

(3) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी-

(क) किसी भी अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान को किसी रजिस्ट्रीकृत पत्तन या स्थान के अलावा अन्य स्थान पर निर्मित हो, तो रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए ऐसे किसी पत्तन या स्थान के लिए अन्तर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से उनकी पहली यात्रा की अनुमति दे सकता है ; या

(ख) भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयान जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन उपबंध किए गए हैं, को अन्तर्देशीय जलमार्गों में यात्रा करने की अनुमति दे सकता है ; या

(ग) भारत के अलावा किसी अन्य देश की ऐसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी यंत्रचालित जलयान को समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निबंधन वे शर्तों के अध्याधीन अन्तर्देशीय जलमार्गों में चलाने की अनुमति दे सकता है।

(4) रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करना लंबित रहते हुए, अधिनियम की धारा 27 के अनुसार प्ररूप सं. 12 में आवेदन की प्राप्ति पर इन नियमों से संलग्न प्ररूप सं. 13 में जारी किया जा सकता है और रजिस्ट्रीकरण के अनंतिम प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि के दौरान स्वामी या मास्टर अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयान को रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना, कार्यान्वित करेगा और पालन करेगा।

(5) जलयान के स्वामी या मालिक का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम और नियमों के प्रवर्तन में शामिल प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र या रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसा कि मामला हो, प्रस्तुत करे।

(6) एक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी किसी भी अन्तर्देशीय जलयान को रजिस्ट्रीकृत करने से इनकार कर सकता है, यदि वह यांत्रिक रूप से दोषपूर्ण पाया जाता है, या यदि आवेदक रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में किए गए किसी भी कथन के समर्थन में संतोषजनक सबूत प्रस्तुत करने में विफल रहता है, परंतु कि जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी किसी भी अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान को रजिस्ट्रीकृत करने से इनकार करता है, तो यह आवेदक को लिखित रूप में एक कथन प्रस्तुत करेगा जिसमें इस तरह के इनकार के कारण शामिल होंगे।

7. प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति.—(1) प्राधिकारी जिसने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया है, वह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस के भुगतान के अध्याधीन खोए हुए, नष्ट या विकृत प्रमाणपत्र को प्रतिस्थापित करने के लिए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा।

(2) परंतु कि प्रमाणपत्र की ऐसी कोई प्रति जारी नहीं की जाएगी यदि :

(क) खोए प्रमाणपत्र के मामले में रजिस्ट्रीकरण करने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए यह साबित नहीं हो कि उक्त प्रमाणपत्र को ढूंढने के लिए सभी संभव उपाय कर लिए गए हैं ;

(ख) विनष्ट प्रमाणपत्र के मामले में ऐसा प्राधिकारी उचित जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाए कि प्रमाणपत्र वास्तव में विनष्ट हो गया है ; और

(ग) विकृत प्रमाणपत्र के मामले में स्वामी ऐसे प्राधिकारी को ऐसा विकृत प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

(3) प्रमाणपत्र की प्रत्येक दूसरी प्रति के पृष्ठ पर लाल स्याही से 'दूसरी प्रति' शब्द का स्टाम्प होगा।

(4) मूल प्रमाणपत्र की प्राप्ति होने पर किसी दूसरी प्रति प्रमाणपत्र के जारी होने के पश्चात् नकल प्रमाणपत्र को जारीकर्ता प्राधिकारी को वापस किया जाएगा जो उक्त प्रमाणपत्र को रद्द करेगा और इसे रिकार्ड करेगा।

8. अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयानों पर चिह्न लगाना.— (1) जहां इस नियमों के अधीन एक अन्तर्देशीय जलयान रजिस्ट्रीकृत किया गया है, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी ऐसे जलयान को एक रजिस्ट्रीकरण चिह्न देगा, जिसमें रजिस्ट्रीकरण संख्या, रजिस्ट्री बंदरगाह और ऐसे जलयान का नाम सहज रूप से प्रदर्शित होंगे।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत जलयान के ढांचे पर निम्नलिखित पहचान चिह्न होंगे :-

(क) यंत्रचालित जलयान के प्रत्येक धनुष और स्टर्न पर जलयान का नाम अंकित किया जाएगा और बाजों या जलयानों के मामले में जो स्व-चालित नहीं हैं, प्रत्येक धनुष पर नाम और आधिकारिक संख्या अंकित की जाएगी ;

(ख) रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण का वर्ष मुख्य अधिरचना और इंजन रूम बल्कहेड या अन्तर्देशीय जलयानों में मुख्य बीम पर अंकित किया जाएगा।

(ग) रजिस्ट्री स्थल अथवा बंदरगाह का नाम स्टर्न या ट्रांसोम पर अंकित होगा।

(3) पहचान चिह्न को 25 मिमी चौड़े प्रत्येक अक्षर के साथ न्यूनतम 200 x 150 मिमी (ऊंचाई x चौड़ाई) से कम नहीं लिखा जाएगा और इसे काली पृष्ठभूमि पर या हल्के रंग की पृष्ठभूमि पर गहरे रंग में नक्काशीदार या चिह्नित या वेल्डे किया जाएगा।

(4) अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रीकरण चिह्नों को इसके मुख्य बीम या किसी भी स्थायी बल्कहेड पर एक प्रमुख स्थान पर नक्काशीदार या चिह्नित किया जाएगा।

(5) इसके अतिरिक्त, प्रत्येक जलयान को चित्रित किया जाएगा और एक नियत बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा, ऊपरी डेक पर निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित की जाएगी :-

(क) सकल टनभार;

(ख) यात्रियों की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या;

(ग) स्वामी का नाम;

(घ) अंतिम नवीकरण सर्वेक्षण तिथि;

(ङ) कार्गो जलयानों के मामले में भारयुक्त प्रारूप और पूर्णभार।

9. परिवर्तनों और उपांतरणों का रजिस्ट्रीकरण.— (1) कोई भी परिवर्तन या उपांतरण जो जलयान की दृढ़ता, स्थिरता या सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

(2) जब किसी अन्तर्देशीय जलयान को इतना बदल दिया जाता है, जो उसके या रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में दर्ज विवरण से संबंधित विवरणों के अनुरूप नहीं हो तो ; फिर जलयान का स्वामी, 30 दिनों के भीतर, उस स्थान के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को सर्वेक्षण के संबंधित प्रमाणपत्र के साथ इस तरह के परिवर्तन या उपांतरणों की एक रिपोर्ट देगा जहां जलयान रजिस्ट्रीकृत है।

(3) उप-नियम (2) के अधीन रिपोर्ट, इन नियमों से संलग्न प्रारूप सं. 6 में की जाएगी और इसमें परिवर्तन या उपांतरणों के संबंध में विवरण शामिल होंगे और रिपोर्ट के समय जलयान के संबंध में लागू रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के साथ होंगे।

(4) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, उप-नियम (2) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निर्धारित फीस के भुगतान पर या तो परिवर्तन को रजिस्ट्रीकृत करने का कारण बनेगा या निर्देश देगा कि जलयान को नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत किया जाए।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी यह तय करने में कि क्या रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में परिवर्तन या उपांतरण दर्ज किए जाएंगे या क्या अन्तर्देशीय जलयान का एक नया रजिस्ट्रीकरण किया जाना चाहिए, निम्नलिखित विचारों को ध्यान में रखते हुए, निर्देशित किया जाएगा :-

(क) जब कभी कोई सामग्री परिवर्तन अन्तर्देशीय जलयान की लंबाई या चौड़ाई या गहराई को प्रभावित करता है या जहां भी सहायक इंजन को जोड़ने या हटाने सहित प्रणोदान के साधनों में परिवर्तन होता है, तो जलयान को नए रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता होगी।

(ख) जहां परिवर्तन में केवल संलग्न स्थान के आयामों में परिवर्तन, पूप या डेकहाउस आदि के जोड़ने या हटाने या अन्य समान परिवर्तनों की स्वीकृति या अस्वीकृति या चालक दल के स्थान में परिवर्तन शामिल है, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी इस

तरह के परिवर्तन को रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में रिकॉर्ड करने की अनुमति दे सकता है, परंतु यह नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो कि इससे जलयान की स्थिरता इस प्रकार से खतरे में नहीं है।

(6) जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी निर्देश देता है कि जलयान को नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत किया जाए, यह या तो जलयान को परिवर्तित के रूप में वर्णित करने वाला एक अनंतिम प्रमाणपत्र प्रदान करेगा या मौजूदा प्रमाण पत्रों पर परिवर्तन के विवरण का समर्थन करेगा।

(7) उप-नियम (6) के अधीन दिया गया कोई भी अनंतिम प्रमाणपत्र या किया गया पृष्ठांकन उसकी तारीख से नब्बे (90) दिनों की अवधि के लिए विधिमान्य होगा, जिस अवधि के भीतर स्वामी जलयान को नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

10. रजिस्ट्री का अंतरण.— (1) यदि किसी अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान का स्वामी जलयान के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में रिकॉर्ड पते पर निवास करना या व्यवसाय करना बंद कर देता है, तो वह पते के परिवर्तन के तीस (30) दिनों के भीतर, अपने नए पते के बारे में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को सूचित करेगा जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था, या यदि नया पता उसी राज्य के भीतर किसी अन्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है, और उसी समय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को अग्रेषित करेगा ताकि नया पता उस पर रिकॉर्ड किया जा सके।

(2) जहां मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के अलावा कोई अन्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी ऐसी कोई प्रविष्टि करता है, तो वह मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को नए पते के बारे में संसूचित करेगा।

(3) किसी अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान की रजिस्ट्री एक राज्य के एक स्थान से दूसरे राज्य के दूसरे स्थान पर, जलयान के स्वामी या मास्टर द्वारा प्ररूप सं. 7 में आवेदन को उस राज्य के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को, जिसमें रजिस्ट्रीकरण अंतरित करने का आशय है, प्रस्तुत किए जाने पर, अंतरित की जा सकेगी।

(4) उप-नियम (3) के अनुसार ऐसे आवेदन की प्राप्ति होने पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उस स्थान के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को विधिवत रूप से लिखित रूप में अधिसूचित करेगा जहां जलयान मूल रूप से रजिस्ट्रीकृत है, जो पखवाड़े के भीतर या उससे पहले इस तरह के अंतरण के लिए कोई आपत्ति या अन्यथा सूचित करेगा।

(5) जलयान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र आवेदन के साथ रजिस्ट्री के आशयित स्थान के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

(6) उप-नियम (3) के अधीन आवेदन और राज्य सरकार द्वारा यथा विहित फीस के प्राप्त होने पर, रजिस्ट्री के आशयित स्थान का रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी अपनी रजिस्टर बही में, जलयान से संबंधित सभी विवरणों को दर्ज करेगा और जलयान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण का एक नया प्रमाणपत्र प्रदान करेगा और आगे से ऐसे जलयान को रजिस्ट्री के नए स्थान पर रजिस्ट्रीकृत माना जाएगा।

11. जलयान का अंतरण.—(1) यदि किसी जलयान को किसी व्यक्ति को अन्तरित कर दिया जाता है, चाहे वह राज्य के भीतर निवासी हो या नहीं, तो अन्तरणकर्ता और अन्तरिती रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के लिए अन्तरण की संयुक्त रिपोर्ट बनाएंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर अन्तरणकर्ता रहता है या ऐसे अन्तरण के तीस दिनों के भीतर व्यवसाय करता है, साथ ही चालान या जमा रसीद के साथ-साथ इस तरह के अन्तरण के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करता है।

(2) जलयान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र भी उप-नियम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट के साथ सौंप जाएगा ताकि स्वामित्व के अन्तरण की उन विशिष्टियों को सुकर बनाने के लिए उस में प्रविष्टि की जा सके।

परन्तु जब रजिस्ट्री का अन्तरण जिसमें एक राज्य सरकार से दूसरे राज्य सरकार को अन्तरण शामिल होता है, तो आवेदन प्ररूप सं. 7 में किया जाएगा जैसा कि नियम 10 के उप-नियम (3) में उपबंध किया गया है।

(3) अन्तरण की स्थिति में, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, केन्द्रीय डेटाबेस में अन्तरिती के साथ-साथ अन्तरणकर्ता के ब्यौरे रिकॉर्ड करेगा।

12. रजिस्ट्रीकरण को रद्द किया जाना.— (1) जब कोई रजिस्ट्रीकृत अन्तर्देशीय जलयान लापता, नष्ट, खोया हुआ और परित्यक्त घोषित किया जाता है या सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो जलयान का स्वामी

ऐसी घटना के पंद्रह दिनों के भीतर उस स्थान जहाँ उक्त जलयान का रजिस्ट्रीकरण हुआ है, अन्तर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रार को इस तथ्य की रिपोर्ट करेगा।

(2) उस मामले में जहाँ स्वामी यह विनिश्चित करता है कि एक रजिस्ट्रीकृत अन्तर्देशीय जलयान को स्कैप या विघटित या विदेशों में बेचा जाना है, इस तरह के तथ्य को स्कैपिंग या विघटित करने या निष्पादित करने के शुरू होने से कम से कम पंद्रह दिन पहले उस प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा। जलयान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र भी अधिनियम की धारा 32 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण रद्दीकरण के लिए प्राधिकारी को सौंपा जाएगा।

13. यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान या उनके भाग का बंधक.— (1) (क) एक रजिस्ट्रीकृत अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसमें एक भाग किसी ऋण या अन्य मूल्यवान प्रतिफल हेतु एक प्रतिभूति के रूप में रखा जा सकता है और प्रतिभूति बनाने वाला लिखत (जिसे बंधक कहा गया है) प्ररूप सं. 9 में होगा और इस तरह के लिखत को प्रस्तुत करने पर रजिस्ट्री के अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयानों के बंदरगाह का रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी इसे रजिस्ट्रीकृत बही में दर्ज करेगा और रजिस्ट्री के प्रमाणपत्र में इसे पृष्ठांकित किया जाएगा।

(ख) बंधक को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा उस क्रम में रिकॉर्ड किया जाएगा जिस में वे उस उद्देश्य के लिए उसे प्रस्तुत किए जाते हैं और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, अपने तहत ज्ञापन द्वारा, प्रत्येक बंधक पर सूचित करेगा कि यह उसके द्वारा उस रिकॉर्ड के दिन और घंटे को बताते हुए रिकॉर्ड किया गया है।

(2) जहाँ एक रजिस्ट्रीकृत बंधक का निर्वहन हो जाता है, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, बंधक विलेख के सौंपने पर, उसके साथ लगाए गए बंधक धन की रसीद के साथ, सम्यक् हस्ताक्षरित और सत्यापित, रजिस्ट्रीकरण बही में इस आशय से एक प्रविष्टि करेगा कि बंधक का निर्वहन किया गया है और उस प्रविष्टि पर संपत्ति, यदि कोई हो, बनाई जा रही है जिस पर बंधक को पारित किया गया है, तो वह उस व्यक्ति में निहित होगा जिसमें (हस्तक्षेप करने वाले कृत्यों और परिस्थितियों के संबंध में, यदि कोई हो) तो यह निहित होगा, यदि बंधक नहीं किया गया है।

(3) यदि उसी अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसके भाग के संबंध में रिकॉर्ड एक से अधिक बंधक है, तो बंधकधारकों को किसी भी अभिव्यक्त, अनुरोध या रचनात्मक नोटिस के होते हुए भी, उस तारीख के अनुसार प्राथमिकता होगी जिस पर प्रत्येक बंधक रजिस्ट्रीकरण बही में रिकॉर्ड किया गया है और प्रत्येक बंधक की तारीख के अनुसार नहीं।

(4) जहाँ तक बंधकयुक्त अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसके भाग को बंधक ऋण के लिए एक प्रतिभूति के रूप में उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक हो, बंधकधारक को अपने बंधक के कारण, अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसके भाग का स्वामी नहीं माना जाएगा और न ही बंधककर्ता को इसका स्वामी माना जाएगा।

(5) (क) जहाँ एक अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसका भाग केवल एक रजिस्ट्रीकृत बंधक है, तो वह उच्च न्यायालय में जाए बिना अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान या उसके भाग को बेचकर बंधक के अधीन देय राशि की वसूली करने का हकदार होगा;

परन्तु इस उपनियम में अंतर्विष्ट कोई बात बंधककर्ता को उपनियम (ख) में यथा उपबंधित उच्च न्यायालय में ऐसी देय धनराशि को वसूल करने से नहीं रोकती है।

(ख) एक अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसके भाग के दो या दो से अधिक रजिस्ट्रीकृत बंधक हैं, तो वे उच्च न्यायालय में बंधक के अधीन देय राशि की वसूली करने के हकदार होंगे और डिग्री पारित करते समय या उसके पश्चात् उच्च न्यायालय निदेश दे सकता है कि बंधक अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसका भाग डिग्री के निष्पादन में बेचा जाए।

(ग) किसी अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसके भाग का प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत बंधककर्ता, जो खंड (क) के अधीन बंधक अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसके भाग को बेच कर बंधक के अधीन देय राशि को वसूल करने का आशय रखता है, तो रजिस्ट्री के अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान बंदरगाह के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को ऐसे विक्रय से संबंधित पंद्रह दिन की अग्रिम सूचना देगा।

(घ) उपर्युक्त खंड (ग) के अधीन नोटिस के साथ जलयान पर उनके रोजगार के संबंध में चालक दल को देय सभी मजदूरी और अन्य राशियों का भुगतान सबूत होगा।

(6) एक अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसके भाग का एक रजिस्ट्रीकृत बंधक ऐसे बंधक रे रिकॉर्ड की तारीख के पश्चात् बंधकदार द्वारा किए गए दिवाला के किसी भी कार्य से प्रभावित नहीं होगा, उसके दिवालियापन के प्रारंभ पर, उसके कब्जे या आदेश में अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसका भाग या निक्षेप या उसका प्रतिष्ठित स्वामी था और बंधक को उसके

नियमित दिवालिया या किसी भी ट्रस्टी या संपत्ति भागी के अन्य लेनदारों के किसी भी अधिकार, दावे या ब्याज के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

(7) (क) एक अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसके भाग का एक रजिस्ट्रीकृत बंधक किसी भी व्यक्ति को अन्तरित किया जा सकता है और अन्तरण को प्रभावित करने वाला लिखत प्ररूप अनुज्ञात ऐसी परिस्थितियों में प्ररूप सं. 10 में होगा और ऐसे लिखत को दिए जाने पर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी इसे अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या उसके भाग को बंधक के रूप में अन्तरणकर्ता का नाम रजिस्ट्रीकरण बही में रिकॉर्ड करेगा और अपने हस्ताक्षरित ज्ञापन द्वारा, अन्तरण के लिखत पर अधिसूचित करेगा कि यह रिकॉर्ड के दिन और घंटे को बताते हुए उसके द्वारा रिकॉर्ड किया गया है।

(ख) ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसा बंधक अन्तरित किया गया है, प्राथमिकता के ऐसी अधिकारों का वैसे ही प्रयोग करेगा जैसा कि अन्तरणकर्ता प्रयोग करता था।

(ग) बंधक का निवेदन सृजित करने वाला कोई लिखत इन नियमों से संलग्न प्ररूप सं. 11 में होगा।

प्ररूप संख्या-1

[धारा 5(4) और 5(10) देखिएं]

रजिस्ट्रीकरण बही

रजिस्ट्रीकरण संख्या:.....

जलयान का नाम:.....

रजिस्ट्री पत्तन:..... रजिस्ट्री वर्ष.....

स्वामी का नाम:.....

स्वामी का पता:.....

अन्तर्देशीय जलयान का विवरण

कार्गो जलयान या यात्री आदि का प्रकार..... श्रेणी.....

सकल भार..... रजिस्ट्रीकृत भार.....

जलयान का ब्यौरा

संपूर्ण लंबाई.....

संपूर्ण चौड़ाई.....

जलयान के डेक के भीतर और बल की गहराई.....

निर्माता का नाम और पता.....

निर्माण वर्ष.....

हल वुड, स्टील आदि का प्रकार.....

डेकों की संख्या.....

बल्क हेड की संख्या.....

संव्यवहार

उस व्यक्ति का नाम जिससे यह हक है
घंटे लिया गया है

प्रभावित शेयरों की संख्या

रजिस्ट्रीकरण की तिथि और

इंजिन

आंतरिक दहन इंजिन संख्या.....

विवरण.....
 सेटों की संख्या.....
 द्वारा निर्मित.....
 निर्माण वर्ष.....
 प्रति सेट सिलेंडरों की संख्या.....
 सिलेंडर का व्यास (इंच में).....
 स्ट्रोक (इंच में).....
 एन.एच.पी.....बी.एच.बी.....आई.एच.पी.....

प्रणोदन

प्रणोदक प्रकार: एकल स्कू/ दोहरा स्कू/ साइड क्वार्टर/ चालन योग्य रडर प्रणोदक/विओथ/ वाटर जेट/ ओबिएम आदि. _____

प्रति मिनट घूर्णन (आरपीएम) _____ जलयान की गति _____

गियर युक्त प्रणोदन अथवा प्रत्यक्ष चलित _____

प्रणोदन प्रकार: ऑयल इंजिन या विद्युत या बैट्री या सोलर ऊर्द्धयम या अन्य (जो सुसंगत नहीं हो उसे काट दें)

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

तिथि _____

रजिस्ट्रीकरण के उत्तरवर्ती

संव्यवहार की प्रकृति और तिथि

नाम, आवास और उपजीविका

हकदारी अथवा अधिकार प्राप्त करने वाले अंतरिती या बंधकदार अन्य व्यक्ति के संव्यवहार की संख्या

प्ररूप सं. 2

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

[धारा 4 देखिएं]

सेवा में

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार,

मैं,.....

निवासी.....

अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी होने के नाते

अनुरोध करता हूं कि उक्त जलयान का में रजिस्ट्रीकरण किया जाए।

मैं इन नियमों के अधीन यथा संदेय फीस संदत्त करने के लिए सहमत हूं। उक्त जलयान के संबंध में विशिष्टियां प्रकार हैं: -

1. स्वामी का पूरा नाम और पता
2. उपजीविका
3. स्वामी का नाम और उसके प्रमाणपत्र की संख्या

4. रजिस्ट्री का नाम और संख्या, यदि पूर्व में रजिस्ट्रीकृत हो
5. कब और कैसे जलयान प्राप्त किया गया
6. जलयान का प्रकार यथा मोटर, इंजिन निर्माता का नाम और पता और साथ ही होर्स पावर, गति और निर्माण वर्ष
7. स्थान और निर्माण वर्ष सहित निर्माताओं का नाम और पता
8. बीमा प्रमाणपत्र का ब्यौरा
9. संलग्नक:-

(क) स्वामी द्वारा घोषणा कि इस अधिनियम के उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है; सर्वेक्षण प्रमाणपत्र की नकल/सर्वेक्षण का अनंतिम प्रमाणपत्र;

(ख) जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस के संदाय के साक्ष्य वाली चालान रसीद;

(ग) जलयान के तृतीय पक्ष बीमा प्रमाणपत्र की समयक रूप से हस्ताक्षरित प्रति;

(घ) नए जलयानों के लिए निर्माता का प्रमाणपत्र;

(ङ.) विक्रय लिखत (पुराने जलयानों के लिए);

(च) बंधक का ब्यौरा (प्ररूप संख्या 19 और प्ररूप संख्या 20);

छ) स्वामित्व की घोषणा। (प्ररूप संख्या 12)

स्थान:

तारीख: जलयान के स्वामी का हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 3

स्वामित्व की घोषणा

[नियम 5(1)(क) देखें]

मैं/हम

.....स्थायी रूप से निवासी.....

जिनके कारबार का स्थान है.....

..... घोषित करता हूं
कि इस नाम का जलयान.....जिसका निर्माण स्थल है.....निर्माण का वर्ष.....और
इसे मेरे द्वारा इस तारीख को खरीदा गया.....इसका मूल्य रुपए.....है और इसे अपने नाम
परपत्तन में रजिस्ट्रीकृत करना चाहता हूं और मैं ही इसका स्वामी हूं।

स्वामी के हस्ताक्षर

घोषणा20..... केदिन को उक्त नामद्वारा
इनकी उपस्थिति में की गई

मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पण :- किसी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक अथवा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष घोषणा की जाएगी।

प्ररूप सं.4

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा अंतर्देशीय जलयान के निरीक्षण के लिए तारीख और समय नियत किया जाना
[नियम 5(5) देखें]

तारीख:

संदर्भ सं.:

सेवा में,

अंतर्देशीय जलयान के स्वामी/मास्टर

महोदय/महोदया,

अंतर्देशीय जलयान अधिनियम 2021 के अधीन उपरोक्त नाम के जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आपके आवेदन की पावती अभिस्वीकृति देते हुए, यह सूचित किया जाता है रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या सर्वेयर जलयान के फलक पर __, 20 को उपस्थित होंगे।

आपसे अनुरोध है कि अंतर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या सर्वेयर को सभी युक्तियुक्त सुविधाएं और जलयान के संबंध में ऐसी सभी जानकारी उपलब्ध कराएं जो उन्हें रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो।

भवदीय

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

अंतर्देशीय जलयान

प्ररूप सं. 5

कार्विंग और मार्किंग नोट

[नियम 5(8) देखें]

तारीख:

संदर्भ सं.:

सेवा में,

अंतर्देशीय जलयान के स्वामी या मास्टर

महोदय/महोदया,

यह पत्र उपरोक्त नाम के जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आपके आवेदन और इन नियमों के नियम 6 के अधीन संचालित की गई जलयान की पश्चातवर्ती जांच के संदर्भ में है। आपको परामर्श दिया जाता है कि आप इन नियमों के नियम 9 के अनुसार जलयान के हल पर निम्नलिखित चिह्न अंकित करें:

जलयान का नाम:

अधिकारिक सं. _____

रजिस्ट्रीकरण का पत्तन: _____ रजिस्ट्रीकरण का वर्ष: _____

आपको आगे यह परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित अंकन की समाप्ति के उपरांत जलयान के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ अंतिम निरीक्षण के लिए इस कार्यालय से संपर्क करें (जो किसी भी स्थिति में इस पत्र के जारी किए जाने से पंद्रह दिन के बाद नहीं होना चाहिए)।

कृपया यह भी सलाह दी जाती है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को जारी किए जाने के समय पर आपके द्वारा यह अंकन नोट मूल रूप में वापस लौटाना जाना अपेक्षित है।

भवदीय

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

अंतर्देशीय जलयान

प्ररूप सं. 6

परिवर्तन के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुरोध/आवेदन

[नियम 9(3) देखें]

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी,

महोदय/महोदया,

मैं,

नामित अधिकारिक सं. _____ के अंतर्देशीय जलयान का स्वामी होते हुए सूचित करता हूँ कि जलयान में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं

1. _____
2. _____
3. _____

अतः, मैं परिवर्तनों को रजिस्ट्रीकृत करने या नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मैं आवश्यक फीस को जमा किए जाने को दर्शाने वाले ट्रेजरी चालान की डुप्लीकेट प्रति संलग्न कर रहा हूँ।

मैं मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र सं. _____ भी संलग्न कर रहा हूँ।

तारीख _____

(स्वामी के हस्ताक्षर)

परिवर्तन सत्यापनकर्ता (सर्वेयर का नाम और हस्ताक्षर)

तारीख:

प्ररूप सं. 7

रजिस्ट्रीकरण के स्थानांतरण के लिए आवेदन

[नियम 10(3) और नियम 11(2) देखें]

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

मैं, _____ निवासी _____

अंतर्देशाय जलयान नाम _____ अधिकारिक सं. _____ का स्वामी होते हुए अनुरोध करता हूँ कि उक्त जलयान का रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी _____ के रजिस्टर से _____ राज्य के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के रजिस्टर में कर दिया जाए। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न है।

रु. का ट्रेजरी चालान भी संलग्न है।

स्थान _____

तारीख _____

स्वामी के हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 8

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र

[नियम 6(1) देखें]

जलयान की विशिष्टियां

[रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के ब्यौरे]द्वारा जारी।

अधिकारिक संख्या	जलयान का नाम	रजिस्ट्रीकरण सं., तारीख और पत्तन	पूर्व रजिस्ट्रीकरण सं., तारीख और पत्तन (यदि कोई है)
क्या भारतीय है या विदेश निर्मित	क्या स्व-प्रणोदित है या प्रणोदक प्रकार का	कहां निर्मित हुआ	निर्माताओं का नाम और पता
डेकों की संख्या स्टेम स्टेर्न सामग्री विवरण बल्कहेडों की संख्या	लम्बाई बाहरी प्लेटिंग की चौड़ाई मोल्डेड गहराई इंजन – कक्ष की लम्बाई (यदि कोई है)	मीटर	

प्रणोदक इंजनों और मशीनरी की विशिष्टियां, जैसे की निर्माताओं, स्वामियों या इंजन निर्माताओं द्वारा आपूर्ति की गई है

इंजन के सेटों के संख्या	इंजनों के विवरण	क्या भारतीय निर्माण है या विदेशी	कब निर्मित हुआ	निर्माता का नाम और पता	प्रत्यागामी इंजन	घूर्णन इंजन	बी.एच.पी. जलयान की अनुमानित गति
					प्रत्येक सेट में सिलेंडरों की संख्या	सिलेंडरों का व्यास	प्रत्येक सेट में सिलेंडरों की संख्या

शाफ्टों की संख्या		इंजन	इंजन	इंजन		
				स्ट्रोक की लंबाई		
बॉयलरों की विशिष्टियां वर्णन..... संख्या..... भारित दबाव.....						

टनभार की विशिष्टियां

इस जलयान का टनभार भारतीय टनभार प्रमाण-पत्र के अनुरूप इस प्रकार है:-

सकल टनभारटन

निवल टनभार टन

इस जलयान के लिए टनभार का विस्तृत विवरण सर्वेक्षण के प्रमाण-पत्र में दर्शाया गया है

--

कर्मिदल की संख्या जिनके लिए स्थान-सुविधा प्रमाणित की गई है

मैं, अधोहस्ताक्षरी,राज्य केबंदरगाह पर रजिस्ट्रीकरण करने वाला प्राधिकारी, यह प्रमाणित करता हूँ कि जिस जलयान का विवरण मेरे प्रमाण पत्र के आगे लगा हुआ है, उसका सशक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया है, और यह कि उपरोक्त विवरण रजिस्टर बुक के अनुसार है; यह कि जिसकी सेवा की सक्षमता का प्रमाण-पत्र संख्या है, उक्त जलयान का मास्टर है, और यह कि नाम, स्वामी का निवास और विवरण....., और उसके द्वारा धारित दसवें शेयरों की संख्या इस प्रकार है:-

स्वामी का नाम आवास और उपजीविका	दसवें शेयर की संख्या

तारीख..... दिनदो हजार.....

.....रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

सूचना - रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र हक का दस्तावेज नहीं है। इसमें स्वामित्व के सभी परिवर्तनों की सूचना अनिवार्य रूप से शामिल नहीं है, और किसी भी मामले में इसमें जलयान को प्रभावित करने वाले किसी भी बंधक का आधिकारिक रिकॉर्ड

नहीं है। स्वामित्व के किसी भी परिवर्तन के मामले में सभी पक्षों के हितों की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है कि परिवर्तन को विधि के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए। स्वामित्व, पते या अन्य रजिस्ट्रीकृत विवरणों में परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को दी जानी चाहिए। क्या जलयान वास्तव में या रचनात्मक रूप से खो गया है, दुश्मन द्वारा लिया ले गया है, जला दिया गया है या टूट गया है या किसी भी कारण से यह भारतीय जलयान के रूप में बंद हो गया है, जिसकी सूचना, साथ ही रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र यदि अस्तित्व में है, तुरंत रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को दी जानी चाहिए।

प्ररूप सं. 9

बंधक सृजन करने वाली लिखत

[नियम 13(1) देखें]

जलयान का नाम _____ शासकीय सं. _____

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र सं. _____ रजिस्ट्रीकरण का स्थान _____

रजिस्ट्रीकरण की तारीख _____

जलयान का वर्णन (क्या यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित है): _____

इंजन की हार्स पावर: _____

हल (पहचान के लिए लम्बाई.)

उपस्कर:

नौका	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई
सं.1
सं.2
सं. 3

सकल रजिस्ट्रीकृत टनभार _____ शुद्ध रजिस्ट्रीकृत टनभार _____

सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र और रजिस्ट्री बही में अधिक ब्यौरे वर्णित किए हैं .

मैं/हम अद्योहस्ताक्षरी (बंधककर्ता या बंधककर्ताओं का पूरा नाम और पता वर्णन सहित)

..... द्वारा (बंधकग्राही का पूरा नाम, पता और वर्णन, यदि संयुक्त बंधकग्राही सम्बद्ध हैं, तो उनका वर्णन किया जाएगा, यदि बंधकग्राही एक कंपनी है, तो उसका पूरा नाम और पता दिया जाएगा) द्वारा इस दिन प्रतिफल में उधार दिये गए

मैं/हम.....

.....के साथ मेरे/हमारे और मेरे/हमारे उत्तरवर्तियों, निष्पादनकर्ताओं अथवा प्रशासकों की ओर से प्रसंविदा करता हूं।

प्रथमतः, कि (बंधककर्ता या बंधककर्ताओं के वर्णन सहित पूरा नाम और पता) या मेरे/हमारे उत्तरवर्ती, निष्पादक, या प्रशासक, उक्तको उक्त राशि परप्रतिशत की दर से ब्याज सहित प्रति वर्ष (मूल राशि के संदाय हेतु दिन नियत करें) आगामी.....को उक्त राशि का संदाय करेंगे.

द्वितीयतः, यदि उक्त मूल राशि का संदाय उक्त दिन (बंधककर्ता या बंधककर्ताओं के वर्णन सहित पूरा नाम और पता) को नहीं किया जाता है, या हम /हमारे उत्तरवर्ती ऐसे समय जो उसी उसके किसी भाग के दौरान असंदत्त रहती है, संपूर्ण या उसके ऐसे भाग पर जो तत्समय असंदत्त रहती है, उसके/उनके/अपने समनुदेशितियों को ...तारीख .. वर्ष मास वह प्रत्येक वर्ष की को प्रति वर्ष..... प्रतिशत की दर पर छहमाही संदायों के बराबर ब्याज का संदाय करेंगे और उक्त मूल राशि और ब्याज का पूर्वोक्त रीति में प्रति संदाय को उक्तकी बेहतर प्रतिभूति देने के लिए हम उक्तऐसे शेयर/शेयरों का बंधक रखते हैं जिनके हम ऊपर विशिष्टतया वर्णित जलयान में और उसकी नौकाओं तथा अनुलग्नकों में स्वामी

हैं।

अंत में, मैं/हमअपने लिए/हमारे लिए और मेरे/हमारे उत्तरवर्तियों, निष्पादकों या प्रशासकों के लिए उक्त और उनके समनुदेशितों के साथ प्रसंविदा करते हैं कि मुझे/हमारे पास उपर्युक्त उल्लिखित शेषों को उपरोक्त रीति में बंधक रखने की शक्ति है, और यह कि वह सभी विल्लंगमों से मुक्त है (यदि कोई पूर्व विल्लंगम है, तो स्पष्ट करें, "उक्त जलयान के रजिस्ट्रीकरण की पुस्तक में उपदर्शित के सिवाय")।

इसके साक्षी में, मैंने/हमने यहां अपना/अपना नाम उपवर्णित किया है और मुहर इस दिनसंलग्न की है (बंधककर्ता या बंधककर्ताओं के वर्णन सहित पूरा नाम और पता) को सील करें और उपरोक्त द्वारा, की उपस्थिति में निष्पादित किया है।

साक्षी 1 (नाम, पूरा पता और हस्ताक्षर, मुहर)

साक्षी 2 (नाम, पूरा पता और हस्ताक्षर, मुहर)

बंधककर्ता (कंपनी या निगमित निकाय द्वारा) (मूल राशि और ब्याज प्राप्त करने के लिए)

जलयान का नाम..... शासकीय संख्या.....

रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र सं..... रजिस्ट्री का स्थान.....

रजिस्ट्री की तारीख

जलयान का वर्णन (चाहे पूरी तरह से या आंशिक रूप से बिजली, भाप या अन्य यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित है):..... इंजन की हॉर्स पावर:.....

हल (पहचान के लिए लंबाई.....)

उपस्कर:

नौका	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई
सं.1
सं.2
सं.3

सकल रजिस्ट्रीकृत टनभार _____ शुद्ध रजिस्ट्रीकृत टनभार _____ और

जैसा कि सर्वेक्षण के प्रमाण-पत्र और रजिस्ट्री की बही में अधिक ब्यौरे वर्णित है।

हम, (कंपनी का पूरा नाम इसके कारबार के प्रमुख स्थान के साथ) हमें..... (पूरा नाम, पता और बंधक का वर्णन, यदि संयुक्त बंधकों का संबंध है, तो उनका वर्णन किया जाएगा, यदि बंधककर्ता एक कंपनी है, पूरा शीर्षक और पता दिया जाएगा) ने अपने लिए और हमारे उत्तरवर्तियों ने उक्त के साथ प्रसंविदा की है, और उसके/उनके/उसके समनुदेशितियों को सबसे पहले, कि हम या हमारे उत्तरवर्ती, उक्त को संदाय करेंगे..... या उसके/उनके/उसके द्वारा की उक्त राशि को समनुदेशित किया जाता है, तो हमारे द्वारा उसे एक साथ उस परप्रतिशत की दर से ब्याज के साथ, प्रति वर्ष (मूल राशि के भुगतान के लिए नियत दिन का उल्लेख करें) अगले के बाद के दिन के अनुसार भुगतान किया जाएगा; और

द्वितीयतः, यदि उक्त मूल राशि का संदाय उक्त दिन, हम/हमारे उत्तरवर्ती ऐसे समय जो उसी उसके किसी भाग के दौरान असंदत्त रहती है, संपूर्ण या उसके ऐसे भाग पर जो तत्समय असंदत्त रहती है, उसके/उनके/अपने समनुदेशितियों को प्रत्येक वर्ष की तारीख को प्रति वर्ष,..... प्रतिशत की दर पर, छहमाही संदायों के बराबर ब्याज का संदाय करेंगे और उक्त मूल राशि और ब्याज का पूर्वोक्त रीति में प्रति संदाय को उक्तकी बेहतर प्रतिभूति देने के लिए हम उक्तऐसे शेषर/शेषरों का बंधक रखते हैं जिनके हम ऊपर विशिष्टतया वर्णित जलयान में और उसकी नौकाओं तथा अनुलग्नकों में स्वामी हैं।

अंत में, मैं/हमअपने लिए/हमारे लिए और मेरे/हमारे उत्तराधिकारियों, निष्पादकों या प्रशासकों के लिए उक्त

..... और उनके समनुदेशितों के साथ अनुबंध करते हैं कि मुझे/हमारे पास उपर्युक्त उल्लिखित शेरों को उपरोक्त रीति में बंधक रखने की शक्ति है, और यह कि वे सभी विल्लंगमों से मुक्त है (यदि कोई पूर्व विल्लंगम है, तो स्पष्ट करें, "उक्त जलयान के रजिस्ट्रीकरण की पुस्तक में उपदर्शित के सिवाय")।

इसके साक्षी में हमने के दिन.....को यह अपनी सामान्य मुहर लगाई है और की सामान्य मुहरकी उपस्थिति (यथास्थिति, साक्षियों, निदेशक, सचिव का वर्णन) इसके साथ में लगा दी गई है.

प्ररूप सं. 10

व्यष्टि या संयुक्त स्वामियों द्वारा बंधक अंतरण सृजन लिखत

[नियम 13(7)(क) देखें]

मैं/हम जिनका उल्लेख इस प्रकार है पुत्र

..... इस पर विचार करते हुए

.....इस दिन मुझे/हमें.....द्वारा संदत्त,

उसे/उन्हें/इसे लिखित प्रतिभूति के भीतर..... लाभ अंतरित करता/करते हूँ/हैं.

इसके साक्षी रहते हुए मैंने/हमने एतद्वारा अपना/हमारा.....नाम चस्पा किया है और मैंने/हमने अपनी मुहरइस दिन लगा दी या और इनकी उपस्थिति में (कम-से-कम दो साक्षियों के नाम, पता और हस्ताक्षर) उक्त नामित

व्यक्तियों को निष्पादित कर दिया है।

(कंपनी द्वारा अथवा निगमित निकाय द्वारा)

इसमें उल्लिखित ने इसके विचारण में..... इस दिन इसका संदायद्वारा कर दिया है और उसे/उन्हें/इसे इस लिखित प्रतिभूति के भीतर लाभ अंतरित करता हूँ.

इसके साक्षी रहते हुए हमें अपनी साझा मुहर इस पर के दिन चस्पा कर दी है.

.....की साझी मुहर इनकी उपस्थिति में लगाई गई (यथास्थिति, कम-से-कम दो साक्षियों, निदेशको, सचिव के हस्ताक्षर और वर्णन)

टिप्पणी - बंधक के अंतरण के मामले में इसे उपर्युक्त प्ररूपों में पृष्ठांकन द्वारा किया जाएगा.

प्ररूप सं. 11

बंधक का उन्मोचन सृजित करने वाला लिखत

[नियम 13(7)(क) देखें]

बंधक संदत्त किए जाने के मामले में, इसके उन्मोचन के ज्ञापन के लिए निम्नलिखित प्ररूपों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

व्यष्टि या संयुक्त स्वामियों द्वारा

लिखित प्रतिभूति के भीतर इसके उन्मोचन मेंरु. की राशि प्राप्ति की, दिनांकदिन,20

(* न्यूनतम दो साक्षियों का नाम और हस्ताक्षर.

कंपनियों अथवा निगमित निकाय द्वारा

लिखित प्रतिभूति के भीतर उन्मोचन के लिए की राशि प्राप्त की.

इसके साक्षी रहते हुए हमें अपनी साझा मुहर इस पर के दिन लगा दी है.

.....की साझी मुहर इनकी उपस्थिति में लगाई गई (कम-से-कम दो साक्षियों अर्थात् निदेशक, सचिव

आदि के हस्ताक्षर और वर्णन)

प्ररूप सं. 12

रजिस्ट्रीकरण के अनंतिम प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए आवेदन

[नियम 6(4) देखें]

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

मैं,.....

निवासी.....

अंतर्देशीय जलयानका स्वामी/मास्टर होने के नाते

अनुरोध करता हूँ किकारण (णों) से उक्त जलयान अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाए औरपर रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।

मैं उस शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ, जो इन नियमों के अंतर्गत संदेय है। उक्त जलयान के विवरण निम्नानुसार हैं:

1. स्वामी का नाम और पूरा पता
2. व्यवसाय
3. मास्टर का नाम और उसका प्रमाण-पत्र सं. (यदि लागू है)
4. रजिस्ट्री का नाम और संख्या, यदि पहले रजिस्ट्रीकृत है
5. जलयान कब और कैसे प्राप्त किया गया
6. जलयान का प्रकार अर्थात् मोटर, इंजन निर्माताओं का नाम और पता, हॉर्स पावर, गति और निर्माण के वर्ष सहित
7. निर्माताओं का नाम और पता तथा निर्माण का स्थान और वर्ष
8. बीमा प्रमाण-पत्र के विवरण संलग्नक :-

क) स्वामी द्वारा वक्तव्य कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया गया है; सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति;

ख) चालान रसीद जो इस बात का साक्ष्य है कि जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुसूची में यथानिर्दिष्ट ऐसी फीस का भुगतान कर दिया गया है।

ग) जलयान के तृतीय पक्षकार बीमा प्रमाण-पत्र की सम्यक रूप से प्रमाणित प्रति।

घ) नए जलयानों के लिए निर्माता का प्रमाण-पत्र।

ड) विक्रय का लिखत (बरते हुए जलयानों हेतु)

च) बंधक ब्यौरे (प्ररूप सं. 19 और प्ररूप सं. 20)

छ) स्वामित्व की घोषणा

स्थान:

तारीख:

जलयान के स्वामी/मास्टर के हस्ताक्षर

प्ररूप सं.13

रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाण-पत्र

[नियम 6(4) देखें]

तारीख..... 2020.....के पूर्व या की समाप्ति पर (पाद टिप्पण 1 देखें)

[रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के विवरण] द्वारा जारी किया

जलयान के विवरण

जलयान का नाम	निर्माण स्थान	पूर्व रजिस्ट्री की सं., तारीख और पत्तन (यदि कोई है)	क्या प्रणोदित/नोदित प्रकार का है
निर्माता का नाम और पता			
डेकों की संख्या	लम्बाई		मीटर
स्टेम	प्लेटिंग के बाहर चौड़ाई		
स्टेम	मोल्डेड गहराई		
सामग्री वर्णन	इंजन-कक्ष की लम्बाई (यदि कोई है)		
बल्कहेडों की संख्या			

नोदित इंजनों और मशीनरी के विवरण, जैसी निर्माता, स्वामी या इंजन निर्माता द्वारा आपूर्ति की गई है.

इंजनों की संख्या:

संयुक्त पावर:

इंजन निर्माता का नाम और पता :

टनभार की विशिष्टियां

भारतीय टनभार प्रमाण-पत्र के अनुसार इस जलयान का टनभार निम्नानुसार है:-

सकल टनभार.....टन

शुद्ध टनभार.....टन

सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र पर उपदर्शित इस जलयान हेतु टनभार के संक्षेप ब्यौरे

.....
 ऐसे कर्मीदल की संख्या जिसका आवास सत्यापित है

मैं, अधोहस्ताक्षरी,राज्य के बंदरगाह पर रजिस्ट्रीकरण करने वाला प्राधिकारी यह प्रमाणित करता हूँ कि अंतर्देशीय जलयान जिसका वर्णन इस अनंतिम प्रमाण-पत्र से पहले लगा हुआ है, का विधिवत सर्वेक्षण किया गया है, और यह कि उपरोक्त विवरण सत्य है; कि जिसकी सेवा योग्यता का प्रमाण-पत्र संख्या.....है, उक्त जलयान का मास्टर है, और यह कि नाम, मालिक का निवास और वर्णन....., और उसके द्वारा धारित दसवें शेयरों की संख्या निम्नानुसार है:-

स्वामी का नाम, आवास और व्यवसाय	दसवें शेयर की संख्या

तारीख..... दिनमाह दो हजार और
.....रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

टिप्पण 1: - अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 27(2) के उपबंधों के अधीन जारी अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र.....दिन.....20..... तक प्रवृत्त रहेगा।

[फा.सं. आईडब्लूटी-11011/91/2021-आईडब्लूटी]

सुनील कुमार सिंह, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2022

G.S.R. 421(E).—Whereas draft of the Inland Vessels (Registration and other Technical issues) Rules, 2022 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 144(E) dated the 22nd February, 2022, as required under sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), by Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India inviting the objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 22nd February, 2022;

And, whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 21, section 22, sub-sections (1) and (2) of section 23, sub-section (2) of section 24, sub-section (2) of section 27, sub-section (2) of section 29, sub-section (1) of section 32, sub-sections (2) of section 33 read with clauses (n) to (x) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and Commencement.—(1) These Rules may be called the Inland Vessels (Registration and other technical issues) Rules 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Scope and Application.— (1) Any inland mechanically propelled vessel, which is required to be registered under section 17 of the Act shall not proceed on any voyage or be used for any service, unless it has a certificate of registration in force in respect thereof and granted under section 24 of the Act.

(2) Every certificate of registration issued in respect of a mechanically propelled vessel under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), shall be valid and effective as a certificate of registration issued under the Act and the relevant provisions of the Act shall apply in relation to such vessel as they apply to an inland mechanically propelled vessel registered under these regulations and the Act.

3. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021);
- (b) ”enquiry” means the process of inspection of the vessel, her machinery and articles on board and verification of records of the vessel by the registering authority for the purpose of registration;
- (c) “major conversion or modification” means any of the following -
 - (i) change in gross tonnage of the vessel by more than ten percent;
 - (ii) change of vessel type; or
 - (iii) change of propulsion system or main engines or type of fuel.
- (d) “main drawings of the vessel” means the following -
 - (i) general arrangement;
 - (ii) main structural plans: midship section, profile and decks, shell expansion; and
 - (iii) machinery layout details including the propulsion system.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

4. Application for registration.— An application for registration of an inland mechanically propelled vessel shall be submitted in Form No. 2 appended to these rules by the owner or master of the vessel with such particulars as required under Rule 7 of these Rules.

5. Procedure for registration

(1) The owner or master of an inland vessel wishing to have it registered at a place of registry in the State shall make an application for registration under Rule 4 and submit the same to the concerned Registering Authority: -

- (a) declaration that the provisions of the Act and these rules have been complied with;
- (b) declaration of ownership in Form No. 3 appended to these rules;
- (c) For new vessel: -
 - (i) a certificate signed by the builder (builder’s certificate) of the vessel containing a true account of the proper dimensions, particulars and of the tonnage of the vessel as estimated by him and the time and the place where the vessel was built;
 - (ii) inspection certificate issued by the surveyor along with approved main drawings of the vessel;
 - (iii) in case of a new vessel under construction, the builder’s certificate may be submitted forthwith upon issue by the respective organisation after the completion of the vessel;
- (d) in the case of vessels subjected to major conversion or modification, builder’s certificate and inspection certificate issued by the surveyor along with approved main drawings of the vessel;
- (e) the instrument of sale under which the title of the vessel was transferred to the applicant who requires it to be registered in his name, (for second hand vessel);
- (f) certificate of survey if issued by the designated authority or the provisional certificate of survey issued by the Surveyor;
- (g) challan receipt evidencing payment of fee as prescribed by the State Government; and
- (h) details of mortgage, if any.

(2) Copy of certificate of insurance, issued in compliance with the Inland Vessels [Insurance, Limitation of Liability, Inquiry and Investigations, Obligations of Service Providers and Service Users and Allied Matters]

Rules, 2022 shall be submitted forthwith, when the vessel is insured as per the said rules before plying or trading.

Explanation: - For the purposes of sub-rule (2), the vessel shall be insured after registration is done and insurance company shall be given the identity details of the vessel and the proof of registration of the vessel, certificate of survey and such other documents required by the insurance company.

(3) For the purposes of these rules, the Certificate of Survey shall be submitted forthwith when issued by the designated authority.

(4) The Registering Authority on receipt of the application for registration of the vessel under rule 4, shall approve the name that has been requested for, after ensuring from the records and Central Data Base that there is no other vessel registered in the same name and once the name is allotted, the Registering Authority shall also allot an official number for the vessel, which shall be recorded in the Book of Registration as per Form No 1 appended to these rules and the Central Data Base.

Provided that the Registering authority shall communicate the approval of name to the applicant within 30 days from the date of receipt of the last document from the applicant.

(5) Subject to submission of the requisite details and documents by the applicant in compliance with these rules, the Registering Authority shall give a notice to the applicant in Form No. 4 appended to these rules, informing the time and date of the enquiry in respect of the vessel.

(6) For the purpose of enquiry under these rules, the designated authority or such other person appointed or authorised by the respective State Governments may -

(a) inspect the vessel or any part thereof or any machinery therein or any article therein relevant to the purpose of such enquiry;

(b) call for any records from the owner or master of the vessel and examine it in so far as such records are relevant for the purpose of such enquiry; and

(c) have such assistance as it deems fit for the purpose of such inspection.

(7) For the purpose of enquiry under this rule, the owner, the master and every member of the crew of the vessel shall provide all reasonable facilities for conducting the enquiry and shall also furnish such information as may be required by the authority empowered under sub-rule (6).

(8) Upon ascertaining that the procedures enumerated under this rule have been complied with by the applicant, the Registering Authority shall issue a carving and marking note in Form No. 5 appended to these rules.

(9) The carving and marking note shall be returned to the Registering Authority after carrying out the carving and marking on the vessel, which shall be certified by a Surveyor.

(10) Upon ascertaining that the applicant has complied with these rules, in completing the requirements for registration, the Registering Authority shall enter the particulars of the inland vessel in Form No. 1 appended to these rules.

6. Grant of certificate of registration

(1) If, in respect of any inland mechanically propelled vessel, the registering authority, after making such enquiry as required under rule 5, is satisfied that the provisions of the Act or of any rules made thereunder have been complied with, shall grant to the applicant thereof a certificate of registration in Form No. 8 appended to these rules retaining the certificate of survey or provisional certificate of survey, builders certificate, instrument of sale by which the vessel was sold, and the declaration of ownership.

(2) The certificate of registration may also be in electronic form.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the designated authority may -

(a) permit any mechanically propelled inland vessel, built at any place other than a port or place of registry, to make her first voyage through the inland waters to any such port or place for the purpose of registration; or

(b) permit the vessel registered under any law for the time being in force in India for which provisions have been made under the Act to conduct voyage within the inland waters; or

(c) permit any mechanically propelled vessel registered under such laws of countries other than India to ply within the inland waters, subject to terms and conditions as may be specified by the Central Government, from time to time by general guidelines.

(4) A provisional certificate of registration may be issued in Form No. 13 appended to these rules on receipt of an application in Form No. 12, in accordance with section 27 of the Act pending issuance of the certificate of registration and during the period of validity of the provisional certificate of registration, the owner or master shall implement and comply with all necessary steps to be taken to have the vessel registered under Chapter V of the Act.

(5) It shall be the duty of the owner or master of the inland vessel to produce certificate of registration or provisional certificate of registration as the case may be on demand by the authority engaged in the enforcement of Act and rules made thereunder.

(6) A registering authority may refuse to register any inland vessel, if she is found to be mechanically defective, or if the applicant fails to furnish satisfactory evidence in support of any of the statements made in the application for registration, provided that where the registering authority refuses to register any inland mechanically propelled vessel, it shall furnish to the applicant a statement in writing containing the reasons for such refusal.

7. Duplicate of the certificate.—

(1) The authority which has issued the certificate of registration, shall issue a duplicate of the certificate of registration to replace a certificate lost, destroyed or mutilated, subject to payment of such fees as prescribed by the State Government.

(2) Provided that no such duplicate certificate shall be issued unless -

(a) in the case of a certificate lost, it is proved to the satisfaction of the Registering Authority that all measures possible for tracing out the lost certificate have been exhausted;

(b) in the case of a certificate destroyed, such authority is satisfied after due enquiry that the certificate has actually been destroyed; and

(c) in the case of mutilated certificate, the owner delivers up such mutilated certificate to the authority.

(3) Every duplicate of the certificate shall, on the face of it, be stamped with the word 'Duplicate' in red ink.

(4) Subsequent to the issuance of a duplicate certificate, if the original certificate is found, the latter shall be delivered to the issuing authority which shall cancel the certificate and record the same in the records.

8. Marking of Inland mechanically propelled vessels.—

(1) Where an inland vessel has been registered under these rules, the registering authority shall assign registration mark to such vessel, to be displayed conspicuously comprising of registration number, port of registry and name of such vessel.

(2) Every registered vessel shall bear the following identification marks on its hull -

(a) name of vessel shall be inscribed on each bow and stern of the mechanically propelled vessel and in the case of barges or vessels which are not self-propelled, the name and official number shall be inscribed on each bow;

(b) registration number and year of registration shall be inscribed on the main superstructure and engine room bulkhead or main beam in the inland vessels; and

(c) place or Port of registry shall be inscribed on the stern or transom.

(3) The identification mark shall be inscribed not less than 200mm x 150mm (height x breadth) with each letter 25mm wide and shall be carved or marked or welded in light colour on a dark background or in a dark colour on a light background.

(4) Inland vessels registration marks shall be carved or marked on its main beam or any permanent bulkhead at a prominent place.

(5) Additionally, every vessel shall be painted and displayed on a fixed board, exhibited on the upper deck, the following information -

- (a) gross tonnage;
- (b) maximum permissible number of passengers ;
- (c) name of the owner ;
- (d) date of last renewal survey; and
- (e) loaded draft and deadweight tonnes in case of cargo vessels.

9. Registration of alterations and modifications.— (1) No alteration or modification which affects the strength, stability or safety of the vessel shall be made without the prior approval of the Designated Authority.

(2) When an inland vessel is so altered, as not to correspond with the particulars relating to her or the description entered in the certificate of registration; then the owner of the vessel shall, within 30 days, make a report of such alteration or modifications to the registering authority of the place where the vessel is registered, along with the respective certificate of survey.

(3) The report under sub-rule (2), shall be made in Form No. 6 appended to these rules and shall contain particulars with respect to the alteration or modifications and shall be accompanied by the certificate of registration in force in respect of the vessel at the time of the report.

(4) The registering authority, on receipt of the report under sub-rule (2) and on payment of the prescribed fee as notified by the State Government, shall either cause the alteration to be registered or direct that the vessel be registered anew.

(5) The registering authority in deciding whether alteration or modifications shall be entered in the certificate of registration or whether the inland vessel shall be registered a new shall be guided by the following considerations -

- (a) whenever any material alteration is made in the hull affecting the length or breadth or depth of the inland vessel or wherever there is alteration in the means of propulsion including addition or removal of an auxiliary engine, the vessel shall require new registration; and
- (b) where the alteration consists merely of a change in the dimensions of enclosed space, the addition or removal of poop or deckhouse etc. or an allowance or disallowance or crew space of other similar change, the registering authority may allow such alteration to be entered into the certificate of registration, provided it is verified by the designated Authority that the stability of the vessel is not endangered thereby.

(6) Where the registering authority directs that the vessel be registered anew, it shall either grant a provisional certificate describing the vessel as altered or endorse the particulars of the alteration on the existing certificate.

(7) Any provisional certificate granted or endorsement made under sub-rule (6) shall be valid for a period of ninety days from the date thereof, within which, the owner shall cause all necessary steps to be taken to have the vessel registered anew.

10. Transfer of registry.— (1) If the owner of an inland mechanically propelled vessel ceases to reside or carry on business at the address recorded in the certificate of registration of the vessel, he shall, within thirty days of the change of address, intimate his new address to the registering authority by which the certificate of registration was granted, or if the new address is within the jurisdiction of another registering authority within the same State, to that registering authority, and shall at the same time forward the certificate of registration to the registering authority in order that the new address may be entered thereon.

(2) Where a registering authority other than the original registering authority makes any such entry, it shall communicate the new address to the original registering authority.

(3) The registry of an inland mechanically propelled vessel may be transferred from one place in a State to another place in another State, on submission of an application in Form No. 7 by the owner or master of the vessel to the registering authority of the State to which the registration is intended to be transferred.

(4) On receipt of such application under sub-rule (3), the registering authority shall duly notify the registering authority of the place where the vessel is originally registered, in writing, who shall communicate “no objection” or otherwise to such transfer within a fortnight or earlier.

(5) The certificate of registration in respect of the vessel shall be delivered to the registering authority of the intended place of registry along with the application.

(6) On receipt of the application under sub- rule (3) and the fee as prescribed by the State Government, the registering authority of the intended place of registry shall enter in its register book, all the particulars relating to the vessel and grant a fresh certificate of registration in respect of the vessel and henceforth such vessel shall be considered as registered at the new place of registry.

11. Transfer of vessel.— (1) If a vessel is transferred to any person, whether resident within the State or not, the transferor and the transferee shall make joint report of the transfer to the registering authority within whose jurisdiction the transferee resides or carries on business within thirty days of such transfer along with a challan or deposit receipt evidencing payment of fees as prescribed by the State Government for such transfer.

(2) The certificate of registration in respect of the vessel shall also be submitted along with the report referred to in sub-rule (1) to facilitate that the particulars of the transfer of the ownership may be entered thereon:

Provided that when transfer of registry involves transfer from one State Government to another, application shall be made in Form No. 7 as provided in sub – rule (3) of rule 10.

(3) In the event of transfer, the registering authority shall record the details of the transferor as well as the transferee in the Central Data Base.

12. Cancellation of Registration.—

(1) When any registered inland vessel is declared missing, destroyed, lost, abandoned or has been rendered permanently unfit for service, the owner of the vessel shall report in writing the fact to the Registrar of Inland Vessels of the place where the vessel is registered within fifteen days of occurrence of such event.

(2) In the case where the Owner decides that a registered inland vessel is to be scrapped or dismantled or sold abroad, such fact is to be reported to that authority at least fifteen days in advance of commencement of scrapping or dismantling or executing such sale and the certificate of registration of the vessel shall also be surrendered to that Authority for cancellation of registration as per the provision of Section 32 of the Act.

13. Mortgage of mechanically propelled inland vessel or share.—

(1)

(a) A registered inland mechanically propelled vessel or a share therein, may be made as a security for a loan or other valuable consideration, and the instrument creating the security (called mortgage) shall be in Form No 9 and on the production of such instrument, the Registering Authority of the inland mechanically propelled vessels port of registry shall record it in the Book of Registration and endorse the same in the Certificate of Registry.

(b) Mortgages shall be recorded by the Registering Authority in the order in time in which they are produced to him for that purpose, and the Registering Authority shall, by memorandum under his hand, notify on each mortgage that it has been recorded by him stating the day and hour of that record.

(2) Where a registered mortgage is discharged, the Registering Authority shall, on the production of the mortgage deed with a receipt for the mortgage money endorsed thereon, duly signed and attested, make an entry in the Book of Registration to the effect that the mortgage has been discharged, and on that entry being made, the estate, if any, which passed to the mortgagee shall vest in the person in whom (having regard to intervening acts and circumstances, if any) it would have vested, if the mortgage had not been made.

(3) If there are more mortgages than one recorded in respect of the same inland mechanically propelled vessel or share, the mortgagees shall, notwithstanding any express, implied or constructive notice, have priority according to the date on which each mortgage is recorded in the Book of Registration and not according to the date of each mortgage itself.

(4) Except in so far as making a mortgaged inland mechanically propelled vessel or share available as a security for the mortgage debt, the mortgagee shall not, by reason of his mortgage, be deemed to be the owner of the inland mechanically propelled vessel or share, nor shall the mortgagor be deemed to have ceased to be the owner thereof.

(5)

(a) Where there is only one registered mortgagee of an inland mechanically propelled vessel or share, he shall be entitled to recover the amount due under the mortgage by selling the mortgaged inland mechanically propelled vessel or share without approaching the High Court:

Provided that nothing contained in this sub-rule shall prevent the mortgagee from recovering the amount so due in the High Court as provided in sub-rule (b).

(b) Where there are two or more registered mortgagees of an inland mechanically propelled vessel or share they shall be entitled to recover the amount due under the mortgage in the High Court, and when passing a decree or thereafter the High Court may direct that the mortgaged inland mechanically propelled vessel or share be sold in execution of the decree.

(c) Every registered mortgagee of an inland mechanically propelled vessel or share who intends to recover the amount due under the mortgage by selling the mortgaged inland mechanically propelled vessel or share under clause (a) shall give, an advance notice of fifteen days relating to such sale to the Registering Authority of the inland mechanically propelled vessels port of registry.

(d) The notice under clause (c) above shall be accompanied with the proof of payment of all wages and other amounts due to crew in connection with their employment on that vessel.

(6) A registered mortgage of an inland mechanically propelled vessel or share shall not be affected by any act of insolvency committed by the mortgagor after the date of the record of such mortgage, notwithstanding that the mortgagor, at the commencement of his insolvency, had the inland mechanically propelled vessel or share in his possession, order or disposition, or was the reputed owner thereof, and the mortgage shall be preferred to any right, claim or interest therein of the other creditors of the insolvent or any trustee or assignee on their behalf.

(7)

(a) A registered mortgage of an inland mechanically propelled vessel or share may be transferred to any person and the instrument effecting the transfer shall be in Form No. 10 as circumstances permit, and on the production of such instrument, the Registering Authority shall record it by entering in the Book of Registration, the name of the transferee as mortgagee of the inland mechanically propelled vessel or share and shall, by memorandum under his hand, notify on the instrument of transfer that it has been recorded by him stating the day and hour of the record.

(b) The person to whom any such mortgage has been transferred shall enjoy the same right of preference as was enjoyed by the transferor.

(c) An instrument creating the discharge of mortgage shall be in Form No. 11 appended to these rules.

FORM No. 1

[see rules 5(4) and 5(10)]

BOOK OF REGISTRATION

Registration Number: _____

Name of Vessel _____

Port of Registry _____ Year of Registry _____

Name of the Owner _____

Address of
owner _____

DESCRIPTION OF INLAND VESSEL

Type of Vessel Cargo or Passenger etc. _____ Category _____

Gross Tonnage _____ Registered Tonnage _____

PARTICULARS OF VESSELS

Length overall _____
 Breadth Extreme _____
 Depth of underside of deck amid ships, at side _____
 Builder Name and Address _____
 Year of Built _____
 Type of Hull wood, steel, etc. _____
 Number of Decks _____
 No. of Bulkheads _____

TRANSACTION

Name of person from whom title is derived No. of shares affected Date of and hour of Registry

ENGINE

Internal combustion engine No. _____
 Description _____
 No. offsets _____
 Made by _____
 Year of Make _____
 No. of cylinders per set _____
 Diameter of cylinder in inches _____
 Stroke in inches _____
 N.H.P. _____ B.H.P. _____ I.H.P. _____

PROPULSION

Propeller Type: Single screw or twin screw or side quarter or Steerable Rudder propeller or Voith or Waterjet or OBM etc. _____

Revolution per minute (RPM) _____ Speed of Vessel _____

Propulsion geared or direct driven _____

Propulsion type: Oil engine or Electric or Battery or Solar or other (*strike off whichever is not relevant*)

REGISTERING AUTHORITY

Date _____

SUBSEQUENT TO REGISTRATION

Nature and Date of transaction

Name, residence and occupation

Number of transaction of transferee or mortgagee or other person acquiring title or power

Form No. 2
Application for Registration
[see rule 4]

To,

The Registering Authority,

.....

Resident of.....

being the Owner or Master of an Inland Vessel

hereby request that the said vessel be registered at the

I agree to pay such fees as may be payable under the rules. Particulars in respect of the said Vessel are as under:-

1. Owner's name and address in full
2. Occupation
3. Name of Master and his Certificate No.
4. Name of Registry and No. if previously registered
5. When and how the vessel was secured
6. Kind of vessel, viz. motor, name and address of engine makers with horsepower, speed and the year of make.
7. Name and address of builders with place and year of built.
8. Details of Insurance Certificate
9. Enclosures -
 - a) A declaration by the owner that the provisions of the Act and the rules made thereunder have been complied with; certificate of survey or provisional certificate of survey;
 - b) Challan receipt evidencing payment of fees for the registration of the vessel;
 - c) Copy of the 3rd party insurance certificate of the vessel duly attested;
 - d) Builder's certificate for new vessels;
 - e) Instrument of sale (for second hand vessels);
 - f) Mortgage details; and
 - g) Declaration of Ownership.

Place:

Date: _____ Signature of the Owner or Master of the vessel

FORM No. 3

Declaration of Ownership

[see rule 5(1)(a)]

I/We _____

_____ residing permanently at _____

having original place of business at _____

do hereby declare that vessel named _____

was built at _____

in the year _____ and was purchased by me on _____

for rupees _____

and wish to have the same registered in my name at the port of _____ and that I am the owner of the same .

Signature of Owner

Made and subscribed the _____ day of _____ 20____ by the

Above named _____ in the presence of _____

Signature of Magistrate or Notary Public or Registering Authority

Note: The declaration shall be made before a Magistrate or a Notary Public or a registering Authority.

FORM No. 4

Appointment of date and time of inspection of the Inland Vessel by the Registering Authority

[see rule 5(5)]

Dated:

Ref. No.:

To,

The Owner or Master on the Inland Vessel

Sir/Madam,

In acknowledging the receipt of your application for registration of the vessel named above under Inland Vessels Act, 2021, this is to state that Registering Authority or Surveyor shall proceed on board the vessel at _____ hours on _____ day of _____, 20____.

You are requested to afford to the Registering Authority or Surveyor all reasonable facilities for the registration of the Inland Vessel and all such information respecting the vessel as he may require for the purpose of registration.

Yours faithfully

Registering Authority
Inland Vessels

FORM No. 5

Carving and Marking Note

[see rule 5(8)]

Dated:

Ref. No.:

To,

The Owner or Master of the Inland Vessel

Sir/Madam,

This has reference to your application for registration of the above named vessel and subsequent enquiry of the vessel conducted under rule 6 of these rules, you are advised to have the below enumerated marks carved on the vessel's hull under rule 9 of these rules:

Name of the Vessel:

Official No. _____

Port of Registry: _____ Year of Registry: _____

You are further advised to contact this office after the completion of requisite carving (which in no case shall be greater than fifteen days from the date of issue of this letter) for final inspection for the purpose of registering the vessel.

Please also be advised that you shall be required to surrender this carving note in original at the time of issuance of Certificate of Registration.

Yours faithfully,

Registering Authority

Inland Vessels

Form No. 6**Request/Application for registration of alteration**

[see rule 9(3)]

To,

The Registering Authority,

Sir/Madam,

I, being the owner of inland vessel named _____ Official No. ___ hereby report that the following alterations have been carried out on the vessel:

1. _____
2. _____
3. _____

I therefore, apply for registering the alterations or the issue of a fresh Registration Certificate. I enclose herewith a duplicate copy of treasury challan showing the deposit of the necessary fees.

I also enclose herewith the original certificate of Registration No.

Date _____

(SIGNATURE OF THE OWNER)

Alterations Verified by (Name and Signature of Surveyor)

Date:

FORM No. 7**Application for Transfer of Registry**

[see rules 10(3) and 11(2)]

To,

Registering Authority
_____I, _____ resident of _____

being the owner of an Inland Vessel Name _____ official no. _____ hereby request that the registry of the said vessel may kindly be transferred to your register from the register of the Registering Authority of _____ in the state of _____

_____. The certificate of registration is enclosed herewith.

Treasury Challan for Rs. _____ is also enclosed.

Place

Date _____

SIGNATURE OF THE OWNER

FORM No. 8
CERTIFICATE OF REGISTRATION

[see rule 6(1)]

PARTICULARS OF VESSEL

Issued by[details of Registering Authority]

Official Number	Name of the Vessel	No. , Date and Port of Registry	No. , Date and Port of Previous Registry (if any)
Whether Indian or Foreign Built	Whether self propelled Propulsion Type	Where Built	Name and address of Builders
Numbers of Decks Stem Stern Material Description Number of Bulkheads	Length Breadth to outside of plating Moulded Depth Length of engine – room (if any)		Metres

PARTICULARS OF PROPELLING ENGINES, & MACHINERY, as supplied by Builders, Owners, or Engine Makers

No. of sets of Engines	Description of Engines	Whether Indian or Foreign made	When made	Name and address of Makers	Reciprocating Engines		Rotary Engines	B.H.P. Estimated Speed of Vessel
					No. of cylinders in each set	Diameter of cylinders		
No. of Shafts		Engines		Engines	Engines			
					Length of Stroke			
Particulars of Boilers								

Description.....			
Number.....			
Loaded			
pressure.....			

PARTICULARS OF TONNAGE

The tonnages of this vessel in accordance with India Tonnage Certificate are: -

GROSS TONNAGEtons

NET TONNAGE tons

A detailed summary of the tonnages for this vessel is shown on the Certificate of Survey

--

The Number of crew for whom accommodation is certified

I, the undersigned, Registering Authority at the Port of..... in State here by certify that the Vessel the Description of which is prefixed to this my certificate, has been duly surveyed, and that the above Description is in accordance with the Register Book; that..... whose Certificate of Competency of Service is No....., is the Master of the said Vessel, and that the Name, Residence and Description of the Owner....., and Number of Tenth Shares Held by are as follows :-

Name Residence and Occupation of the Owner	Number of Tenth Shares

Date at..... theday of Two thousand and

.....Registering Authority

NOTICE: - A certificate of Registration is not a document of title. It does not necessarily contain notice of all changes of ownership, and in no case does it contain an official record of any mortgages affecting the Vessel. In case of any change of ownership it is important for the protection of the interests of all parties that the change should be registered according to law. Changes of ownership, address or other registered particulars should be notified to the Registering Authority. Should the Vessel be either actually or constructively lost, taken by the enemy, burnt or broken up or cease for any reason to be an Indian Vessel notice thereof, together with the certificate of registration if in existence, should immediately be given to the Registering Authority at the Port of Registry.

FORM No. 9

Instrument creating Mortgage

[see rule 13(1)]

Name of the Vessel_____ Official No._____

Certificate of Registry No._____ Place of Registry_____

Date of Registry _____

Description of the vessel (whether propelled by mechanical power):

_____Horse power of Engine: _____

Hull (Length for identification.)

Equipment:

Boats	Length	Breadth	Depth
No.1
No.2
No.3

Gross Registered Tonnage _____ Net Registered Tonnage _____ and

described in more detail in the certificate of survey and book of registry.

I/We the undersigned (**Full Name & Address with description of mortgager or mortgagers**)

in consideration of..... this day lent by (**Full name, address and Description of mortgagee. If joint mortgagees are concerned they shall be described, if the Mortgagee is a Company, the full title and address shall be given**).

Me / Us

do hereby for **Myself / ourselves** and **my / our** heirs, executors or administrators covenant with the said

Firstly, that (**Full Name & Address with description of mortgager or mortgagers**) or **my/**

our heirs, executors, or administrators, will pay to the said.....

the said sum of.....together with interest thereon at the rate of.....percent,

per annum on the (**Insert day fixed for Payment of Principal Amount**) day of.....next.

Secondly, that if the said principal sum is not paid on the said day (**Full Name & Address with description of mortgager or mortgagers**) or **my/our** heirs, executors of administrators, will during as the same or any part thereof remains unpaid, pay to the said..... interest on the whole or such part thereof as may for the time being remain unpaid, at the rate of____ per cent per annum, by equal half-yearly payments on theday ofand.....Day of.....in every year; and for better securing to the said..... the re-payment in manner aforesaid of the said principal sum and interest.

I/We (**Full Name & Address with description of mortgager or mortgagers**) hereby mortgage to the said.....shares of which the owner in the Inland vessel above particularly described, and in her boats, and appurtenances,

Lastly, **I/We** for **myself/ourselves** and **my/our** heirs, executors or administrators covenant with the said..... and his assigns that **I / We** have power to mortgage in manner aforesaid the above

Mentioned shares, and that the same are free from encumbrances (*If any prior encumbrances add, "save as appears by the book of registration of the said vessel"*).

In witness where of **I / We** have here unto subscribed **my / our** name and affixed (**full name and address with description of the mortgager or mortgagers**) seal this _____ day of..... and Executed by the above

named. In the presence of

Witness 1 (Name, Full Address and Signature, Seal)

Witness 2 (Name, Full Address and Signature, Seal)

Mortgage (By Company or Body Corporate) (to secure principal sum and interest)

Name of the Vessel _____ Official No. _____

Certificate of Registry No. _____ Place of Registry _____

Date of Registry _____

Description of the vessel (whether propelled wholly or in part by electricity, steam or other mechanical power): _____ Horse power of Engine: _____

Hull (Length for identification.)

Equipment:

Boats	Length	Breadth	Depth
No.1
No.2
No.3

Gross Registered Tonnage _____ Net Registered Tonnage _____ and as described in more detail in the certificate of survey and book of registry.

We, (Name in full of Company together with its principal place of business) in consideration of..... this day lent to us by (Full name, address and description of mortgagee. If joint mortgagees are concerned they shall be described, if the mortgagee is a Company, the full title and address shall be given) do hereby for ourselves and our successors covenant with the saidand **his / theirs / its** assigns firstly, that we or our successors, will pay to the said.....or **his/theirs/its** assigns the said sum of.....together with interest thereon at the rate of _____ per cent, per annum on the (Insert the day fixed for payment of principal) as above day of..... next; and

Secondly, that of the principal sum is not paid on the said day, we or our successors will, during such time as the same or any part thereof remains unpaid, pay to the saidor **his/theirs/its** assigns interest on the whole or such part thereof as may for the time being unpaid, at the rate of..... per cent, per annum, by equal half-yearly payments on the..... day of..... and day of _____ in every year; and for better securing the said..... the repayment in manner aforesaid of the said principal sum and interest we hereby mortgage to the said..... share/shares of which we are the Owners in the vessel above particularly described and in her boats and appurtenances.

Lastly, we for ourselves and our successors covenant with the said.....and **his / theirs/its** assigns that we have power to mortgage in manner aforesaid the above mentioned shares and that the same are free from encumbrances.(If any prior encumbrances add, “save as appears by the book of registration of the said vessel.”)

In witness whereof we have hereunto affixed our common seal this day
of..... and the common seal of the..... was affixed
hereunto in the presence of..... (Description of
witnesses, Directors, Secretary as the case maybe)

Form No. 10

Instrument creating Transfer of Mortgage By Individual or Joint Owners

[see rule 13(7)(a)]

I / We _____ the within-mentioned son of
..... in consideration of
..... this day paid to *me / us* by hereby
transfer to *him / them / it* the benefit of the within written security.

In witness whereof *I / we* have here-un-to subscribed my / *our* name
..... and affixed *my / our* seal this..... day
of and executed by the above-named..... in the
presence of (*Name, address and signature of at least two witness*).

(By Company or Body Corporate)

The within-mentioned in consideration of..... this day paid to it
by.....hereby transfer to *him /them /it* the benefit of the within-written security.

In witness whereof we have here unto affixed our common seal thisday of

This common seal of the was affixed in the presence of (Signature and
description of at least two witnesses, Directors, Secretary etc. as the case maybe.)

N.B. – In the case of transfer of mortgage it shall be made by endorsement in the above forms.

Form No. 11

Instrument creating discharge of the mortgage

[see rule 13(7)(c)]

In case of Mortgage is paid off, a memorandum of its discharge on anyone of the following forms shall be used.

(a) by individual or joint owners

Received the sum ofin discharge of this within written
security, dated at.....day of20.....

(*) The name and signature of atleast two witnesses.

(b) by companies or body corporate

Received the sum of.....in discharge of the within-written security.

In witness whereof we have here-un –to affix our common seal thisDay of.....
20..... at.....

The common seal of thewas affixed with presence of (Description and Signature of at least two witnesses i.e., Director, Secretary etc.)

Form No. 12

Application for issuance of provisional certificate of registration

[see rule 6(4)]

To,

The Registering Authority

I.....

Resident of.....

being the Owner/Master of an Inland Vessel

hereby request that the said vessel be provisionally registered and a provisional certificate of registration be issued at,

for the reason(s)

I agree to pay such fees as may be payable under the rules. Particulars in respect of the said Vessel are as under:-

1. Owner's name and address in full
2. Occupation
3. Name of Master and his Certificate No. (if applicable)
4. Name of Registry and No. if previously registered
5. When and how the vessel was secured
6. Kind of vessel, viz. motor, name and address of engine makers with horsepower, speed and the year of make.
7. Name and address of builders with place and year of build.
8. Details of Insurance Certificate Enclosures:-
 - a) A statement by the owner that the provisions of the Act and these rules have been complied with; A duplicate of the Certificate of Survey;
 - b) Challan receipt evidencing payment of such fees as specified in the schedule for the registration of the vessel.
 - c) Copy of the 3rd party insurance certificate of the vessel duly attested.
 - d) Builder's certificate for new vessels
 - e) Instrument of sale (for second hand vessels)
 - f) Mortgage details

g) Declaration of Ownership

Place:

Date:

Signature of the Owner/ Master of the vessel

FORM No. 13**PROVISIONAL CERTIFICATE OF REGISTRATION**

[see rule 6(4)]

Expiry on or before the.....day of 20.... (see footnote 1)

Issued by[details of Registering Authority]

PARTICULARS OF VESSEL

Name of the Vessel	Where Built	No. , Date and Port of Previous Registry (if any)	Whether self propelled/ Propulsion type
Name and address of Builders			
Numbers of Decks Stem Stern Material Description Number of Bulkheads	Length Breadth to outside of plating Moulded Depth Length of engine – room (if any)		Metres

PARTICULARS OF PROPELLING ENGINES and MACHINERY, as supplied by Builders, Owners or Engine Makers

Number of Engines:

Combined Power:

Name and address of the engine Maker:

PARTICULARS OF TONNAGE

The tonnages of this vessel in accordance with India Tonnage Certificate are: -

GROSS TONNAGEtons

NET TONNAGE tons

A detailed summary of the tonnages for this vessel is shown on the Certificate of Survey

--

 The Number of crew for whom accommodation is certified

I, the undersigned, Registering Authority at the Port of..... in State here by certify that the Inland Vessel the Description of which is prefixed to this Provisional certificate, has been duly surveyed, and that the above Description is true; that..... whose Certificate of Competency of Service is No....., is the Master of the said Vessel, and that the Name, Residence and Description of the Owner....., and Number of Tenth Shares Held by are as follows :-

Name Residence and Occupation of the Owner	Number of Tenth Shares

Date at..... theday of Two thousand and

.....Registering Authority

NOTE 1: - This Provisional Certificate of Registration, issued under the provisions of section 27(2) of the Inland Vessels Act, 2021 and continues to be in force only until the.....day of 20....

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT]

SUNIL KUMAR SINGH, Adviser (Statistics)